प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 14.03.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 11 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 11 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कृष्णपाल पुत्र दलेर निवासी ग्राम फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 11 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-का0 556 इलियास अहमद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3-का0 81 हरिओम सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
4-हो0गा0 346 दिनेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 14.03.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 106/24 धारा 457/380 भादवि, मु0अ0सं0 133/2024 धारा 457/380/511/427 भादवि, मु0अ0सं0 168/2024 धारा 457/380/427 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 चोरी के गए गैस सिलेण्डर बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 12.02.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री सुशील कुमार शर्मा, प्रधानाध्यापक प्रा0वि0 क्यामपुर नं0 02 विकास क्षेत्र बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा प्रा0वि0 क्यामपुर नं0 02 की रसोई का ताला तोड़कर 02 बड़े गैस सिलेण्डर चोरी कर लिए हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 106/2024 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया।

2-दिनांक 20.02.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय में चोरी करने का प्रयास किया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 0133/2024 धारा 457/380/511 भादवि पंजीकृत किया गया।

3-दिनांक 02.03.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा प्राथमिक विद्यालय गौरीपुर जवाहरनगर की खिडकी तोडकर इन्वर्टर, 02 बैट्रे, तीन गैस सिलेण्डर चोरी कर लिये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 0168/2024 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 106/24 धारा 457/380 भादवि, मु0अ0सं0 133/2024 धारा 457/380/511/427 भादवि व मु0अ0सं0 168/2024 धारा 457/380/427 भादवि का

सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 02 चोरी किए हुए गैस सिलेण्डर बरामद हुए हैं एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-राजू पुत्र जबरदीन निवासी नयागांव हमीदाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-सिकन्दर पुत्र सतपाल निवासी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किए हुए 02 गैस सिलेण्डर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3-का0 595 आजाद सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
4-का0 1089 अरविन्द कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक 14.03.2024**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

बबलू उर्फ बब्बल पुत्र धीर सिंह निवासी ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री महावीर सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-है0का0 422 राज सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3-का0 333 नितेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बगापत।
4-का0 981 अंकित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना बालैनी **दिनाँक 14.03.2024**

थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कपिल पुत्र हरवीर निवासी ग्राम हजूराबाद गढी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना बालैनी।
2-का0 997 सोनू कुमार थाना बालैनी।
3-हो0गा0 765 जितेन्द्र सिंह थाना बालैनी।

प्रेस नोट

थाना बडौत **दिनांक-14.03.2024**

थाना बडौत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-काला उर्फ राहुल उर्फ अरविन्द पुत्र ब्रहमपाल सिंह निवासी पट्टी मोल्हू बाबली थाना बडौत जनपद बागपत।
2-प्रमोद पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
2- उ0नि0 श्री सतीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
3- है0का0 226 धर्मेन्द्र थाना बडौत जनपद बागपत।
4- का0 1016 रोहित राठौर थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना बडौत दिनाँक 14.03.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 129/24 धारा 323/352/325/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 03.03.2024 को वादी राधेश्याम पुत्र स्व0 बचन सिंह निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.रितिक, 2.आकाश, 3.रोबिन पुत्रगण सुनील, 4.सुनील पुत्र सहेन्द्र निवासीगण कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा एक राय होकर उसके व उसके परिजनों के साथ मारपीट कर धार दार हथियार से हमला कर गया जिससे उसके परिजनों को गम्भीर चोटें आयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 129/24 धारा 323/352/325 भादवि पंजीकृत किया गया।

नोट- उक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 504/506 भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 129/24 धारा 323/352/325/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम पता:

रितिक पुत्र सुनील निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना बडौत।

2-का0 1070 नरेश कुमार थाना बडौत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला **दिनाँक 14.03.2024**

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 55/24 धारा 147/148/452/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.03.24 को थाना रमाला पर वादी हरपाल पुत्र बारू सिंह निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों द्वारा उसके घर में घुसकर लाठी-डण्डों से उसके व उसके पड़ौसी के साथ मारपीट की व गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 55/24 धारा 147/148/452/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 55/24 धारा 147/148/452/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-विकास पुत्र यगपाल निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत।
2-अजीत उर्फ मोनू पुत्र ओमवीर निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत।
3-राहुल पुत्र सुभाष निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री प्रियव्रत आर्य थाना रमाला जनपद बागपत।
2-का0 301 मुलायम सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।
3-का0 952 मोहित थाना रमाला जनपद बागपत।